

परिशिष्ट-1

(नियम 29 देखिये)

नामांकन की सूचना

*सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् क्षेत्र के वार्ड कमांक () से पंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् तथा सरपंच का निवाचन ।

एतद् द्वारा यह सचना दी जाती है कि उपर वर्णित निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नामांकन पत्र आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त होते हैं:-

अनुसूचित जाति या पिछङ्गा वर्ग का यदि हो तो जाति का विवरण	उम्मीदवार का मतदाता सूची क्रमांक	जमा कराई गई राशि की विवरणी
(6.)	(7.)	(8.)

तारीख स्थान

रिटर्निंग ऑफिसर(पंचायत)/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी(पंचायत)

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।
 उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग कमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जायें जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है।
 विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाए।